संख्या–233/xxxvi(1)/08-137/2008

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 14 अगस्त, 2008

विषय– महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखण्ड नैनीताल में विकल्प के आधार पर कार्यरत श्री कौशेष नारायण, सहायक अधीक्षक, को उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 135/ई0एस0टी0/2008 दिनांक 17–4–2008 जो कि प्रमुख सचिव, पुनर्गठन आयोग, उत्तराखण्ड को सम्बोधित एवं सचिव न्याय को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग–1 के पत्र संख्या– 1650/28–1–2008 दिनांक 28 जुलाई, 2008 एवं पत्र संख्या– 1815/28–1–2008 दिनांक 11 अगस्त, 2008 के क्रम में श्री कौशेष नारायण, सहायक अधीक्षक, महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के अनुरोध के दृष्टिगत महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तर प्रदेश में अवर वर्ग सहायक के पद पर योगदान करने हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें ।

3– यह आदेश भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के महाधिवक्ता कार्यालय के कार्मिकों के अंतिम आवंटन आदेश के अन्तर्गत होगा अर्थात यदि श्री कौशेष नारायण अन्तिम रूप से महाधिवक्ता उत्तराखण्ड के कार्यालय के लिये आवंटित होते है तो उन्हें पुनः महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखण्ड में योगदान करना पड़ेगा ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या–234/xxxvi(1)/08-137/2008तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद ।
2– प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3– प्रमुख सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या– 1650/28–1–2008 दिनांक 28 जुलाई, 2008 एवं पत्र संख्या–1815/28–1–2008 दिनांक 11 अगस्त, 2008 के क्रम में ।
5– सम्बन्धित कार्मिक ।
6– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,